पत्रांक–योजना बजट (स्कीम)– 54/2007 /प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–...../10/2016

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में क्रियान्वयन हेतु गहन वन प्रबंधन योजना (60:40) के अन्तर्गत कुल ₹208.75 लाख (दो करोड़ आठ लाख पचहत्तर हजार रूपये) की योजना की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के स्वीकृत्यादेश संख्या–F.No.-3-10/2007-FPD दिनांक–31.08.2016 (स्वीकृति संख्या–21/2016–17 FPD) द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए गहन वन प्रबंधन योजना (60:50) के तहत कुल ₹208.75 लाख (दो करोड़ आठ लाख पचहत्तर हजार रूपये) की स्वीकृत योजना के आलोक में द्वितीय किस्त के रूप में केन्द्रांश राशि भारत सरकार द्वारा विमुक्त करने एवं केन्द्रांश तथा राज्यांश राशि का अतिरिक्त उद्व्यय तथा बजट उपबंध की उपलब्धता होने के पश्चात शेष राशि का व्यय किये जाने के शर्त्त पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में संलग्न परिशिष्ट–1 में दर्शायी गयी कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु गहन वन प्रबंधन योजना (60:40) के अन्तर्गत कुल ₹208.75 लाख (दो करोड़ आठ लाख पचहत्तर हजार रूपये) की योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृत राशि में से 60% ₹125.25 लाख (एक करोड़ पच्चीस लाख पच्चीस हजार रूपये) केन्द्रांश एवं 40% ₹83.50 लाख (तेरासी लाख पचास हजार रूपये) राज्यांश की राशि का व्यय होगा।

2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के स्वीकृत्यादेश संख्या–F.No.-3-10/2007-FPD दिनांक–31.08.2016 (स्वीकृति संख्या–21/2016–17 FPD) के द्वारा प्रथम किस्त के रूप में 80% केन्द्रांश की विमुक्ति आदेश एवं केन्द्रांश/राज्यांश में उपलब्ध उपबंधित राशि के अनुसार तत्काल कुल ₹167.00 लाख का व्यय किया जायेगा, जिसमें केन्द्रांश की राशि ₹100.20 लाख एवं राज्यांश की राशि ₹66.80 लाख होगी।

उक्त के अतिरिक्त द्वितीय किस्त के रूप में केन्द्रांश राशि भारत सरकार द्वारा विमुक्त करने एवं केन्द्रांश तथा राज्यांश राशि का अतिरिक्त उद्व्यय तथा बजट उपबंध की उपलब्धता के आलोक में शेष राशि का व्यय किया जायेगा।

3. इस राशि की निकासी निम्न मुख्यशीर्षो/उपशीर्षो के अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी :–

केन्द्रांश :– मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–04–वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास, लघु शीर्ष–101–राष्ट्रीय वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम, माँग संख्या–19, उप शीर्ष–0202–राष्ट्रीय संसाधन तथा पारितंत्र संरक्षण, विपत्र कोड–P2406041010202 के विषय शीर्ष–02 01–मजदूरी एवं 21 01–सामग्री एवं पूर्त्तियाँ के तहत।

राज्यांश :– मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–04–वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास, लघु शीर्ष–101–राष्ट्रीय वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम, माँग संख्या–19, उप शीर्ष–0302–राष्ट्रीय संसाधन तथा पारितंत्र संरक्षण, विपत्र कोड–P2406041010302 के विषय शीर्ष–02 01–मजदूरी एवं 21 01–सामग्री एवं पूर्त्तियाँ के तहत।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर/रोहतास/गया/नवादा/औरंगाबाद/नालंदा/मुंगेर/बाँका/पूर्णियाँ/अररिया एवं जमुई होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबद्ध जिला कोषागार/उप कोषागार से किया जायेगा।

5. प्रस्ताव में संचिका के पृष्ठ–82/टि० पर दिनांक–13.10.2016 को प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति तथा प्रारूप में संचिका के पृष्ठ–84/टि० पर दिनांक–13.10.2016 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. इस राशि का आवंटन निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा विमुक्त राशि एवं उपलब्ध बजट उपबंधित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा

7. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इसके लिए इस योजना के स्थल पर कार्यान्वयन/निरीक्षण/पर्यवेक्षण करने वाले पदाधिकारियों की जिम्मेवारी होगी।

9. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने तथा इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की अगली किस्त निर्गत की जायेगी तथा स्वीकृत राशि के विरूद्ध कराये गये कार्यों का स्वयं संतुष्टि एवं स्थल जाँच संबंधी प्रमाण–पत्र के साथ–साथ भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

10. कार्य स्थल पर कार्यों के नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा एवं अनुश्रवण की व्यवस्था कराने का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना का होगा।

11. जनसाधारण की जानकारी एवं पारदर्शिता के निमित्त योजना की विवरणी का स्थल पर निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सूचना पट्ट पर इसे प्रदर्शित किया जायेगा।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट (स्कीम)– 54/2007 5112/**प०व० पटना–15, दिनांक–**18/**10/2016**

प्रतिलिपि :– (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आई०टी०(मैनेजर)/बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/10/16

(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

380

परिशिष्ट-1

Environment & Forest Department, Bihar

Intensification of Management (Integrated Forest Protection Scheme) - Work Plan 2016-17

S No	Item	Description of Item	Unit	Unit Cost (Rs)	Nos	Amount (in lakh Rupees)	Name of Division
Component: Forest Fire Control and Management							
1	Fire Watchers	Fire Watchers 38 teams of 6 watchers for 70 days	Mandays	206	15960	32.878	(Jamui-6, Banka-6, Munger-4, Rohtas-3, Kaimur-4, Gaya-6, Nawada-6, Aurangabad-3)
2	Cutting of Fire	Cutting of fireline in 10m wide strip along the forest roads	Km.	2163	483.5	10.458	(Munger-40, Rohtas-40, Kaimur-40, Gaya-100, Nawada-40, Banka-100, Aurangabad-50, Jamui-64.5, Araria-9)
3	Publicity, Extension & General Awareness	10 Teams	LS	40000	10	4.000	(Jamui, Banka, Munger, Rohtas, Kaimur, Gaya, Nawada, Aurangabad, Nalanda, Purnia)
			Component Total			**47.336**	
Component: Survey & Demarcation							
1	Field Survey, Boundary Demarcation & Enumeration	a) Survey & Demarcation (10 mandays includeing wages of Amin)	Km	2364	121	2.86	(Jamui-30, Banka-16, Munger-10, Rohtas-10, Kaimur-10, Nawada-10, Aurangabad-10, Gaya-10, Prunia-15)
		(b) Boundary Pillar Construction	No	2274	750	17.06	(Jamui-120, Banka-100, Munger-80, Rohtas-70, Nawada-100, Kaimur-80, Aurangabad-100, Gaya-100)
		c) Boundary Wall	feet	2710	3150	85.37	(Banka) 24°48'17.06"N 87°01'22.01"E; (Jamui) 24°33'18.26"N 86°23'45.57"E
			Component Total			**105.28**	
Component: Strengthening of Infrastructure for Forest Protection							
2	Strengthening of Infrastructure for Forest Protection	Purchase of motorcycle	LS	65000	10	6.500	(Jamui-1, Banka-1, Munger-1, Araria-1, Rohtas-1, Kaimur-1, Nawada-1, Aurangabad-1, Gaya-1, Prunia-1)
		Construction of forest guard quarter		990834	2	19.82	(Aurangabad-1, Gaya-1)
			Component Total			**26.317**	
			Total			**178.933**	
				Contingencies @ 5%		**8.95**	
				Total		**187.88**	
				Flexi fund		**20.87**	
				Grand Total		**208.75**	

Central share 60%	125.25
State share 40%	83.50
Total	**208.75**

26/9/16

Principal Chief Conservator of Forests (Dev.)
Bihar, Patna

18/10/16

3472

उप सचिव
पर्यावरण एवं वन विभाग
बिहार, पटना